न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 106/17 उपनिवेशन विविध

खलीक खां पुत्र शेरू खां जाति मुसलमान निवासी गोगड़ियावाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर

—प्रार्थी

: ब ना म :

1. शिवरतन पुत्र लखुजी जाति सोनी निवासी ईदगाह बारी के अंदर, बीकानेर
2. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज

—अप्रार्थी

उपस्थितिः—

1. श्री हरिराम विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री नरेश श्रीमाली, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975

: आदेश :

दिनांक 23.10.19

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना—पत्र **दिनांक 06.11.13** को अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता), बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण प्रार्थना—पत्र इस न्यायालय को हस्तानान्तरित होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेशी में लिया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि **उपनिवेशन तहसील कोलायत नं.3 के चक 4 जीडबल्यूएम 'ए' के मुरब्बा नं. 31/30 के किला नं. 1 ता 22 तादादी 20 बीघा कमाण्ड भूमि** आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जु जिला बीकानेर द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को **दिनांक 27.05.13** को राजस्थान उपनिवेशन (आईजीएनपी क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के अन्तर्गत आवंटित की गयी जो नियम विरूद्ध विनिमय में आवंटन होने के कारण आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

2. अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री नरेश श्रीमाली अधिवक्ता उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

3. तदन्तर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

जिला कलेक्टर, बीकानेर

4. प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओ को दोहराते हुए कथन किया कि आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जु जिला बीकानेर के द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 27.05.13 को राजस्थान उपनिवेशन (इगानप उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के अन्तर्गत 20 बीघा कमा.भूमि विनिमय समिति की अनुशंषा के बिना प्रार्थी के पिता के कब्जे काश्त की भूमि अप्रार्थी को आवंटित कर दी गयी। अप्रार्थी का पेशा कृषि न होकर सोने चांदी का व्यवसाय है। वकील प्रार्थी की यह भी बहस है कि अप्रार्थी का विनिमय प्रार्थना पत्र दिनांक 12.04.2001 को खारिज कर दिया गया था। समस्त तथ्यो को छिपाकर अप्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय ने रिट पेश की जो खारिज कर दी गयी व डबल बैंच ने नियमानुसार कार्यवाही करने का आदेश पारित किया जिसकी आड़ में अप्रार्थी द्वारा अनुचित दबाव बनाकर प्रार्थी की सरप्लस भूमि जो प्रार्थी के पुत्रो को आवंटित होनी थी को अपने नाम आवंटित करवा ली। अप्रार्थी का पूर्व में आवंटित भूमि चक 4 जीएमडबल्यूएम ए मु.नं. 30/47 की 18.02 बीघा 1997 में ही खारिज कर दी गयी थी। अप्रार्थी नये सिरे से भूमि आवंटन करवाने की पात्रता नहीं रखता है। उच्च न्यायालय की डबल बैंच में अपने निर्णय के पैरा सं. 10 मे यह स्पष्ट लिखा है कि "As per rules of allotment let the formalities of allotment" परन्तु अप्रार्थी द्वारा उपनिवेशन तहसील सं. 3 से दिनांक 23.05.13 को प्रस्ताव भिजवाते हुए दिनांक 27.05.13 को भूमि आवंटित करवा ली। अतः अप्रार्थी को किया गया आवंटन नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्त फरमाया जावे।

5. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उनके अधिवक्ता की बहस है कि अप्रार्थी शिवरतन को मु. नं. 113/63 वाके चक 3 बीकेएम की 15 बीघा कमा. व 10 बीघा अ.कमा. काश्त योग्य नहीं होने के कारण दिनांक 28.02.92 का चक 4 जीडबल्यूएम के मु.न. 30/47 की 20 बीघा कमा. भूमि आवंटित की गयी जो पूर्व में किसी अन्य को आवंटन होने के कारण अप्रार्थी का आवंटन आदेश निरस्त कर दिया गया जिसे अप्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में चुन्नौत्ति देने पर डी.बी.सिविल अपील (डबल्यू) नं. 6/2011 में दिनांक 09.12.11 को आदेश भूमि आवंटन बाबत आदेश दिये गये जिसकी पालना में भूमि आवंटित हुई।प्रार्थी ने अप्रार्थी की भूमि पर कब्जा कर रखा है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 164 दिनांक 23.08.13 पुलिस थाना बज्जु में दर्ज करवाई गयी जिसमें चालान प्रस्तुत कर दिया गया है। अप्रार्थी को आवंटन सलाहकार समिति की राय से ही किया गया है। अप्रार्थी का मुख्य व्यवसाय सोने चांदी का नहीं है। अप्रार्थी ने किसी भी तथ्य को माननीय उच्च न्यायाल मे छिपाया नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

जिला कलेक्टर, बीकानेर

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी का विनिमय प्रार्थना पत्र दिनाक 12.04.2001 को खारिज किया जा चुका था। इन तथ्यो को छुपाते हुए अप्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि चक 4 जीडबल्यूएम ए मु.नं. 30/47 की 20 बीघा भूमि किशनदास पुत्र मोहनदास स्वामी को आंवटित कर दी गयी जबकि उक्त भूमि पहले अप्रार्थी को आवंटित हुई व बाद में किश्तो के अभाव में उक्त भूमि इंतकाल सं. 8 दिनांक 10.09.97 को रकबा राज होने के बाद दिनांक 20.04.11 इंतकाल सं. 58 से किशनलाल का आवंटन करके कब्जा दिया गया। इन समस्त तथ्यो को उच्च न्यायालय में छिपाया गया। आवंटन अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में भूमि आवंटित करते समय अप्रार्थी की पात्रता को नहीं देखा और ना ही प्रकरण की विस्तृत जांच की गयी। प्रार्थी की बालिग पुत्रो की पत्रावली जो सन् 2011 से इसी भूमि की पेण्डिग रहते हुए तहसील कार्यालय द्वारा शुद्ध रकबा राज की गलत रिपोर्ट पर दिनांक 27.05.13 को आवंटन किया गया है। इस प्रकार से किया गया आवंटन राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 22(3) के अनुसार नहीं माना जा सकता है।

7. उपर्युक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए अप्रार्थी को दिनांक **27.05.13** को **उपनिवेशन तहसील कोलायत नं.3 के चक 4 जीडबल्यू एम ए के मु.नं. 31/30 के किला न. 1 ता 22 तादादी की 20 बीघा कमाण्ड भूमि नियम विरूद्ध विनिमय में किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।** अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों लौटाई जावे।

8. आदेश आज दिनांक **23.10.19** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलेक्टर, बीकानेर